न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–05/2020 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बाबूसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी उकसी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. गोविन्द गुप्ता पुत्र रामजीलाल जाति महाजन
2. गोपाल गुप्ता पुत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी जागरू तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील लक्ष्मणगढ
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय बहैसियत लैण्ड होल्डर जिला अलवर

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री रामवीर सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में प्रतिवादी संख्या 01 बाबूसिंह की दिनांक 24.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 23.01.2019 को एकपक्षीय डिक्री मिन प्रार्थी बाबूसिंह के विरूद्ध तहत अदालत द्वारा पारित की गई। जिस एकपक्षीय डिक्री की मिन प्रार्थी को कोई जानकारी नही हो पाई। तहत अदालत द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री तकसीम व हुक्मईम्तनाई दवामी की पारित कर दावा तकसीम प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर दिया। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जाप्ता दीवानी का तहत अदालत में पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 23.12.2019 पारित कर खारिज फरमा दिया। जिस निर्णय दिनांक 23.12.2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने मौखिक बहस में दावे के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत अदालत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी गलत तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। मिन अपीलांट बीमार हो जाने के कारण नियत पेशी पर उपस्थित नही हो सका एवं अपने अधिवक्ता को सूचना दी कि वो अदालत में जाकर पैरवी साध लें। वकील साहब व्यस्त होने के कारण आवाज के समय अदालत में उपस्थित नही हुये जिससे अपीलांट की एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। मिन अपीलांट को उक्त एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 24.01.2018 की जानकारी व एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.01.2019 की जानकारी नही हो पाई। सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 07.03.2019 को आराजी पर आने से हुई जिससे तुरन्त प्रार्थना पत्र जेर आदेश 09 नियम 13 जा.दी व प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से खारिज कर दिया गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में आगे तर्क किया कि रेस्पो0 उक्त एकपक्षीय डिक्री दिनांक 23.01.2019 की आड में विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 210 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 555/208 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम उकसी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के कुरेजात बनवाने पर उतारू है जबकि आराजी पहले से ही मौके पर बंटी हुई है और अपीलांट मौके पर बंटी हुई आराजी पर अपने हिस्से पर काबिज है। अपीलांट को दावे में काफी आपत्ति थी व है मगर अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 खारिज कर दिये जाने से अपीलांट अपना पक्ष प्रस्तुत करने से महरूम रहा है। न्यायहित में अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरवी करने की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक था मगर तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.12.2019 निरस्त कर अपीलांट को पैरवी व जबावदेही करने का अवसर प्रदान किया जावे।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया है कि तहत अदालत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पारित किया है। अपीलांट जानबूझकर मुकदमे में देरी करने की नियत से तहत न्यायालय में हाजिर नही हुये। प्रतिवादी संख्या 01 बाबूसिंह की दिनांक 24.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 23.01.2019 को एकपक्षीय डिक्री मिन प्रार्थी बाबूसिंह के विरूद्ध तहत अदालत द्वारा पारित की गई, जो कि विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा यह नही बताया गया है कि उक्त पारित डिक्री में तहत अदालत द्वारा क्या गलती की गई है। अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील मुकदमे को उलझाने के लिये की गई है, जिसका कोई ठोस आधार नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 23.12.2019 का अवलोकन किया।

तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 04.03.2018 में प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड तलबाना के निर्देश हैं। दिनांक 27.08.2018 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा भी पेश किया गया है। तत्पश्चात् प्रतिवादी/उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हैं। उसके बाद आदेशिका दिनांक 23.01.2019 को प्रारम्भिक डिक्री के आदेश है। उसके लगभग 08 माह बाद आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसको दिनांक 23.12.2019 को खारिज किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/अपीलांट को तहत अदालत में सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा उनकी अनुपस्थिति पर ही एकपक्षीय कार्यवाही हुई है, जिसमें किसी प्रकार की प्रकियात्मक त्रुटि नही की है।

विधिक रूप से प्रारम्भिक डिक्री हेतु "मीट्स एण्ड बाउण्ड" के आधार पर आदेश होते हैं, वही आदेश इस प्रारम्भिक डिक्री में किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसके अतिरिक्त तहत अदालत का आदेश ऑर्डर 09 रूल 13 दिनांक 23.12.2019 के अंतिम पैरा "वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विवाद सहकाश्त खातेदारी भूमि के बंटवारे का है, जिसमें कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के काफी अवसर प्रदान किये जाते हैं" से भी स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादी उस समय अपना पक्ष रखकर न्याय प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार तहत अदालत के आदेश में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाये जाने के कारण अपील अपीलांट काबिल खारिज के है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 23.12.2019 यथावत रखा जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तद्नुसार पर्चा-डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर